कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.–भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 1 / 2002 / दिनांकः

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
उदयपुर।

विषयः– तहसील धरियावद,जिला प्रतापगढ व तह0 लसाडिया, जिला उदयपुर के ग्रामों की बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत्।

प्रसग :– राजस्व ग्रुप–1 विभाग का पत्रांक प.13(9)राज–1 / 2002 दिनांक 03.07.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप–1 विभाग द्वारा धारा 106,107 एवं 108 तहसील धरियावद,जिला प्रतापगढ व तह0 लसाडिया, जिला उदयपुर की बन्द की अधिसूचना दिनांक 03.07.2018 प्राप्त होने पर अधिसूचना की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया जिला कलक्टर से प्राप्त उक्त तहसीलों का साबिक राजस्व अभिलेख / नक्शे, उन्हें तत्काल संभलाकर सूचना भिजवावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

ह0
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 1814 दिनांकः– 19.7.18

प्रतिलिपिः–

1– प्रोग्रामर,मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग
राज., अजमेर
पत्र-प्राप्ति
17 JUL 2018
608

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(9)राज.–1/2002 पार्ट   जयपुर, दिनांक 3 JUL

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा– 106, 107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील धरियावद जिला उदयपुर के समस्त ग्रामों में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम एवं अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य किये जाने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13(9)राज–1/2002 दिनांक 26.06.2002 को प्रसारित की गई थी। नवसृजित जिला प्रतापगढ सृजित होने से तहसील धरियावद का विभाजन होकर तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ में तथा तहसील लसाडिया जिला उदयपुर में रही। भारत सरकार की डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत राज्य के 11 जिलों में आधुनिक तकनीक से सर्वे–अभिलेखन कार्य करवाने के दृष्टिगत पारम्परिक प्रणाली से वर्तमान में भू–प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसील लसाडिया जिला उदयपुर व तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ के समस्त ग्रामों का कार्य इस अधिसूचना के प्रसारित होने की दिनांक से जिस स्थिति में है, बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भूमि अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, उदयपुर/प्रतापगढ।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2002/283 दिनांक 25.01.2018
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर व भीलवाडा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव